न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
नीलाम–पत्र अपील वाद संख्या–167 / 2012

मो0 मुमताज अहमद — बनाम — उप समाहर्त्ता –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
11.07.2018	**आदेश** अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद उप समाहर्त्ता –सह– सहायक नीलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा नीलाम पत्र वाद संख्या–378 / 93–94 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत करने तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त करने का निदेश दिया गया। तदालोक में जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 120 / नी0 दिनांक 09.04.15 से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है जो अभिलेख पर संधारित है। विपक्षी संख्या–02 शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचना का तामिला दिनांक 03.10.2014 को कराया गया, बावजूद इसके विपक्षी संख्या–02 स्वयं या अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित नहीं हुए हैं। इस वाद में पहले ही विलम्ब हो चुका है। अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील आवेदन, निम्न न्यायालय का अभिलेख, निम्न न्यायालय में Certificate Holder के द्वारा दायर आवेदन, उस पर Certificate Debtor द्वारा दाखिल आपत्ति एवं पुनः Certificate Holder द्वारा दाखिल Rejoinder सहित सम्पूर्ण अभिलेख एवं कागजातों का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि Certificate Holder शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, लहेरियासराय ने मो0 मुमताज अहमद के पे0–स्व0 चौधरी मो0 शरीफ, साकिन–बिलासपुर, थाना–हायाघाट, जिला–दरभंगा के विरूद्ध ट्रैक्टर हेतु लिये गये ऋण के संबंध में मूलधन एवं सूद 2,50,468.15 रुपये के विरूद्ध कोर्ट फी एवं तलवाना इत्यादि जोड़कर कुल मो0–2,55,911.00 रुपया दावा करते हुए दिनांक 11.02.1994 को वाद दायर किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2012 के सहज अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय का आदेश मनमाना एवं स्थापित विधि के विपरीत है। आदेश फलक में स्पष्टतः यह तथ्य अंकित है कि देनदार के आपत्ति आवेदन को खारिज किया जाता है, जबकि अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में एक सविस्तार आपत्ति आवेदन दिनांक 18.09.2006 को दाखिल किया गया है। आपत्ति आवेदन में अंकित कथन की व्याख्या किये बिना ही निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।	

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत् नीलाम पत्र वाद संख्या–378/93–94 में अंकित राशि कभी भी अपीलार्थी को अग्रिम के तौर पर उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही अपीलार्थी कथित राशि से कोई ट्रैक्टर आदि खरीद किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि संबंधित बैंक के कर्मी के द्वारा कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर कराया गया लेकिन किसी भी प्रकार का कर्ज अपीलार्थी को नहीं दिया गया है। अतः नीलाम पत्र वाद आपसी विद्वेष व रंजिश के कारण दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्य के विपरीत प्रश्नगत् आदेश दिनांक 25.08.2012 को पारित किया गया है, जिसे रद्द किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख पर विपक्षी संख्या–02 का प्रत्युत्तर दिनांकित 18.02.2012 संधारित है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन दिनांकित 18.09.2006 के पृष्ठभूमि में संबंधित प्रत्युत्तर विपक्षी संख्या–02 द्वारा दाखिल किया गया है। उक्त प्रत्युत्तर में अपीलार्थी द्वारा कथन कि उन्हें किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं दिया गया है और अपीलार्थी ट्रैक्टर आदि नहीं खरीदे हैं, को स्पष्टतः अस्वीकार किया गया है। प्रत्युत्तर में यह तथ्य भी अंकित है कि Certificate Debtor के ऋण आवेदन के आलोक में बैंक द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ऋण स्वीकृत किया गया। Certificate Debtor ने ऋण हेतु आवेदन के अतिरिक्त ट्रैक्टर के लिए तीन कोटेशन, अपनी अचल सम्पत्ति का कागजात भी जमा किया तथा ऋण हेतु अपनी सम्पत्ति को Mortgage भी किया। तत्पश्चात् संतुष्ट होते हुए बैंक ने डीलर को डी0ओ0 लेटर दिया, जिसके आधार पर डीलर से Certificate Debtor द्वारा ट्रैक्टर, टेलर एवं अन्य उपकरण प्राप्त किया तथा उनके प्राप्ति एवं संतुष्टि के आधार पर ही बैंक द्वारा डीलर को उक्त राशि का भुगतान किया गया। ऐसे में Certificate Debtor का यह कहना कि उन्हे ऋण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा सादे कागज पर बैंक द्वारा हस्ताक्षर करा लिया गया तथ्य के विपरीत है। Certificate Debtor द्वारा ऋण के माध्यम से प्राप्त ट्रैक्टर एवं उपकरणों का उपयोग तो किया गया परन्तु ऋण नहीं चुकाया गया। इससे विवश होकर Certificate Holder द्वारा नीलाम पत्र वाद दायर किया गया। Certificate Debtor की मंशा ठीक नहीं है और वह Public Money को पचा जाना चाहते हैं। इसीलिए तथ्य के विपरीत भ्रामक आपत्ति दाखिल किये हैं, जिसका कोई आधार/साक्ष्य नहीं है।

विद्वान् सहायक सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय में विपक्षी सं0–02 द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बैंक के द्वारा कर्ज दिया गया है। अपीलार्थी ने बैंक में ऋण आवेदन, अचल सम्पत्ति का कागजात, ट्रैक्टर का कोटेशन इत्यादि जमा किया तथा अपनी सम्पत्ति को मोर्टगेज भी किया ऐसे में अपीलार्थी के इस दावे में बल नहीं है कि उन्हें ऋण की जानकारी नहीं है और न ही उन्हें बैंक द्वारा ऋण दिया गया है। अपीलार्थी आपत्ति आवेदन एवं अपील आवेदन के दावे के समर्थन में कोई भी साक्ष्य समर्पित करने में

विफल रहे हैं। अतः उनकी अपील को अस्वीकृत करते हुए उल्लिखित राशि को एक माह के अन्दर बैंक को लौटाने का आदेश दिया जा सकता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दिये गये अभिवचनों के अनुरूप अभिलेख का गहन अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से दो आपत्ति दिया गया है।

1. उनके द्वारा बैंक से कभी ऋण प्राप्त नहीं किया गया। बैंक ने धोखे से सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया।
2. निम्न न्यायालय के द्वारा उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया है तथा उनके आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया गया है।

प्रथम आपत्ति अभिलेख आधारित तथ्य के विपरीत है। आवेदक ने स्वयं ऋण आवेदन बैंक में समर्पित किया। साथ ही अचल सम्पत्ति का कागजात दाखिल करते हुए मोर्टगेज भी किया इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर क्रय हेतु तीन कोटेशन बैंक में समर्पित किया। धोखे से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का भी कोई साक्ष्य एवं औचित्य स्पष्ट नहीं है।

द्वितीय आपत्ति भी तथ्यपरक नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि Certificate Debtor को नोटिस निर्गत किया गया है, जिसका तामिला दिनांक 06.05.1994 को प्राप्त है। उसके बाद भी अनुपस्थित रहने के कारण गिरफ्तारी वारंट निर्गत है। इसके बाद भी अनुपालन नहीं होने बाद कुर्की (Distrait) वारंट भी निर्गत है। इसके बावजूद आवेदक द्वारा लगभग 12 वर्षों बाद दिनांक 19.09.2006 को उपस्थित होकर आपत्ति आवेदन दिया गया एवं वारंट को स्थगित करने का अनुरोध किया गया। ऐसे में यह कहना कि आवेदक को नोटिस नहीं दिया गया, गलत है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने बैंक से ऋण प्राप्त किया था। निम्न न्यायालय के द्वारा उन्हें विहित प्रपत्र में नोटिस का तामिला भी कराया गया। उसके बाद भी आवेदक द्वारा लगभग 12 वर्ष बाद आपत्ति आवेदन देना सरकारी धन की वापसी के प्रति उनकी मंशा को संदिग्ध बनाता है। निम्न न्यायालय ने आपत्ति आवेदन एवं Rejoinder दोनों का अवलोकन एवं उल्लेख करते हुए आपत्ति आवेदन को अस्वीकृत किया है तथा Certificate Debtor को ऋण राशि वापस करने का निदेश दिया है, जो पूर्णतः न्यायोचित है। उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील को अस्वीकृत करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी एक माह के अन्दर संबंधित बैंक की उल्लिखित राशि वापस जमा करें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। साथ ही निम्न न्यायालय का अभिलेख आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।